न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/एनएच/ 87/2018

ममता पत्नी श्री मुकेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी रुपवास तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थीया

बनाम

1—नेशनल हाईवे आर्थरिटी ऑफ इण्डिया तामील जरिये क्षेत्रीय अधिकारी (नेशनल हाईवे नम्बर 123 ऊंचा नगल से धौलपुर खण्ड) ई—120जनपथ श्याम नगर जयपुर हाल दौसा राजस्थान
2— उपखण्ड अधिकारी, रुपवास
3—यूनियन ऑफ इण्डिया तामील जरिये सचिव एन.एच.ए. आई नेशनल हाईवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली हाल दौसा राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी 5 नेशनल हाईवे एक्ट 1956 व मुकदमें कार्यवाही भूमि अवाप्ति वास्ते नेशनल हाईवे नम्बर 123 ऊँचा नगला से धौलपुर खण्ड बाबत खसरा नम्बर 129/16 ग्रांम भिडियानी तहसील रुपवास जिला भरतपुर अवार्ड दिनांक 20.4.2018.

उपस्थितः—
1—श्री पंकज कुमार, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री राकेश धाकड़, अभिभाषक अप्रार्थी न.1

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी 5 एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी0 ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के चौड़ीकरण हेतु भूमि आवाप्त की गई है जिसमे प्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 129/6 ग्रांम भिडियानी से 0.0740 है0 (740 वर्गमीटर यानि 7962.40 वर्ग फुट) भूमि अवाप्त की गई है इस बाबत धारा 3 ए एन एच एक्ट का नोटिफिकेशन दिनांक 9.12.2017 एवं अवार्ड दिनांक 20.4.2018 को सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी रुपवास द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीया की अवाप्त भूमि की मार्केट वैल्यू को कतई ध्यान में नहीं रखा जब कि पत्रावली पर प्रार्थीया ने मार्केट वैल्यू सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये जिनका हवाला

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेशिका दिनांक 20.4.18 में सक्षम अवाप्त अधिकारी द्वारा स्वयं अंकित किये जाने के उपरान्त भी मनमाना अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीया ने अवाप्त शुदा भूमि 0.0740 है0 (740 वर्ग मीटर/7962.40 वर्ग फीट) का मुआवजा मुताविक रिपोर्ट उप पंजीयक रुपवास दिनांक 28.07.2017 अनुसार 23887020.00 रुपये मूल्याकन को आधार मानते हुये नगरीय क्षेत्र रुपबास में दिये अवार्ड मूल्यांकन x2+ धारा 3ए की दिनांक से अवार्ड दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अनुसार ही प्रार्थीया को अवार्ड दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है, साथ ही प्रार्थीया ने विलम्ब से हुई क्षतिपूर्ति के रुप मे सम्पूर्ण अवार्ड राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एवं भूमि का कब्जा छोड़ने व नयी भूमि क्रय करने मे क्षति पूर्ती स्वरुप 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) रुपवास से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से जबाब पेश हुआ तथा उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल मिसिल किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) रुपवास से प्राप्त रिपोर्ट क्रमां/भू.अ./2018/2004 दिनांक 20.8.2018 शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के चौड़ीकरण हेतु भूमि आवाप्त की गई है जिसमे प्रार्थी का आराजी खसरा नम्बर 129/6 ग्रांम भिडियानी से 0.0740 है0 (740 वर्गमीटर यानि 7962.40 वर्ग फुट) भूमि अवाप्त की गई है इस बाबत धारा 3 ए एन एच एक्ट का नोटिफिकेशन दिनांक 9.12.2017 एवं अवार्ड दिनांक 20.4.2018 को सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी रुपवास द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीया की अवाप्त भूमि की मार्केट वैल्यू को कतई ध्यान में नहीं रखा गया है जब कि पत्रावली पर प्रार्थीया ने मार्केट वैल्यू सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये जिनका हवाला आदेशिका दिनांक 20.4.18 में सक्षम अवाप्त अधिकारी द्वारा स्वयं अंकित किये जाने के उपरान्त भी मनमाना अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति के समक्ष आपत्ति पेश की गई जिस पर कोई ध्यान नही दिया गया, और बिना सुनवाई के आपात्ति को खारिज कर दिया गया

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। प्रार्थीया को अवाप्त शुदा भूमि 0.0740 है0 (740 वर्ग मीटर/7962.40 वर्ग फीट) का मुआवजा मुताविक रिपोर्ट उप पंजीयक रुपवास दिनांक 06.04.15 अनुसार 2388720.00 रुपये मूल्याकन को आधार मानते हुये नगरीय क्षेत्र रुपबास में दिये अवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. एन.एच. ने अपनी लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऊंचा नगला –धौलुपर सेकशन के निर्माण चोडा करने चार लेन बनाने के लिये भूमि अवाप्त की गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 20.11. 2017 को प्रकाश दिनांक 9.12.2017 को दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त निर्धारित समयावधि में विभिन्न हितधारीयों के आक्षेप आपत्तियॉ मय दस्तावेज /सबूत आदि प्राप्त हुऐ जिस पर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त समुचित एवं व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई का अवसर देते हुये आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। प्रार्थीया द्वारा अपनी याचिका में जो तथ्य दिये गये वे निराधार हैं अस्वीकार के रहते हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 20.4.2018 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। प्रार्थीया की आवाप्त शुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रुप में दर्ज है तथा सक्षम भूमि अवाप्ति द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की प्रकृति के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में अवाप्त शुदा भूमि का समुचित अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 व 2013 के प्रावधानों के तहत प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि की क्षतिपूर्तिस्वरुप प्रार्थी को अवार्ड राशि के बराबर सोलेशियम राशि क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान कर अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्त अधिकारी ने अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की रोशनी मे प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड पारित किया गया है जो कि पूर्णतया समुचित व विधिसम्मत है जिसे प्रार्थीया अब इस स्तर किसी भी प्रकार से संशोधित करवाने या अवार्ड अनुसार प्रार्थीया को देय

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रतिकर के रुप में मुआवजे राशि के अतिरिक्त अन्य कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण मय हर्जा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया, अप्रार्थी एन.एच. की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर भी गोर किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थीया का मुख्य तर्क है कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 129/6 ग्रांम भिडियानी सं 0.0740 है0 (740 वर्गमीटर यानि 7962.40 वर्ग फुट) भूमि अवाप्त की गई, जिसकी कीमत नगरीय क्षेत्र रुपवास में मानते हुये अवार्ड राशि दिलाई जावे, तथा उस पर 12 प्रतिशत की दर से व्याज एवं क्षतिपूर्ति के रुप में 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि दिलाई जावे।

पत्रावली के अवलोकन करने पर जाहिर आया कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऊंचा नगला –धौलुपर सेक्शन के निर्माण चौड़ा करने चार लेन बनाने के लिये भूमि अवाप्त की गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 20.11.2017 को प्रकाश दिनांक 9.12.2017 को देनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। इस पर प्रार्थीया ममता द्वारा भूमि अवाप्ति मुआवजा के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी एस.डी.ओ.रुपवास के यहॉ पेश किया गया है, जिस पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एसडी.ओ.रुपवास ने विधिवत सुनवाई करते हुये दिनांक 20.4.2018 को अपने आदेश में आपत्ति का निस्तारण किया गया है जो इस प्रकार है :–

> ".....पत्रावली पेश हुई अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा आराजी खसरा नं. 129/16 बाके ग्रांम भिडयानी मे से 0.0740 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाया है प्रा.पत्र के साथ उप पंजीयक रुपवास को प्रेषित पत्र दिनांक 28.07.17 राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 02.03.17 परिपत्र सं. 2/04 नकल जमाबंदी, बयनामा की फोटोप्रति आदि पेश की है तथा वर्गफीट की दर से मूल्यांकन कर मुआवजा दिये जाने की मांग की है। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रुपवासव एन.एच.आई प्रतिनिधि की रिपोर्ट प्राप्त की

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

गयी,मुताबिक रिपोर्ट उक्त खं.न. मे से 0.0740 है0 भूमि अवाप्ति में आ रही है मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त भूमि कृषि भूमि दर्ज है मुआवजा निर्धारण राजस्व रिकार्ड के मुताबिक किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है.....।"

भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) रुपवास से प्राप्त रिपोर्ट पर गौर किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कथन करते हुये अन्त में लिखा है कि "..... अवार्ड जारी करने से पूर्व प्रार्थीया ममता को विधिवत सुना गया है सुनवाई के दौरान हितधारी ममता द्वारा अवाप्ति में ली गई भूमि से सम्बन्धित वाणिज्यिक का पट्टा या आदेश पेश नहीं किया गया है और ना ही मौके पर कोई मार्केट की गतिविधि है.....।"

प्रार्थीया ने अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर उपपंजीयक रुपवास के द्वारा डी.एल.सी. दर प्रति वर्गमीटर की रिपोर्ट की गई है को आधार बनाया है। परन्तु प्रार्थीया की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि अवाप्ति की गई भूमि वाणिज्यिक हो। भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) रुपवास द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की प्रकृति के आधार पर कृषि भूमि के हिसाब से मुआवजा निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है, जो विधिनुसार सही है। इस प्रकार प्रार्थीया किसी भी प्रकार का रिलीफ पाने की हकदार नही रहती है। अस्तु प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र याचिका प्रार्थीया खारिज की जाती है। निर्णय प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.ओ.) रुपवास को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर